

प्रथम पत्रक
कार्यालय अंचल अधिकारी, जरीडीह

अनुसूची 14 - फारम सं० 562

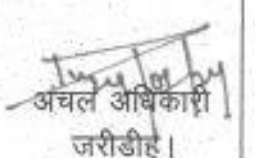
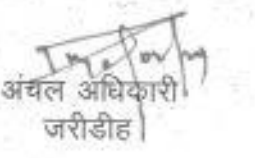
अभिलेख संख्या 09/2023-24

आदेश - पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक - ता० से तक

जिला - बोकारो

केस का प्रकार :- ऑनलाईन जमाबंदी सृजन

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
24.01.2024	आवेदिका विद्या सिंह पति विनोद कुमार सिंह साकिन बहादुरपुर, थाना-जरीडीह, जिला- बोकारो के द्वारा अपने भूमि मौजा- बहादुरपुर, थाना नं०- 78, खाता नं०- 38, प्लॉट नं०- 268, रकवा- 20 डी० एवं खाता नं०- 88, प्लॉट नं०- 269, रकवा- 10 डी० भूमि का ऑनलाईन पंजी II के पृष्ठ सं०- 8/10 में जमाबंदी दर्ज करने हेतु आवेदन समर्पित कर अनुरोध किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करते हुए आपत्ति हेतु आम ईस्तहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक- 12.02.2024 को उपस्थापित करें।  अंचल अधिकारी जरीडीह।  अंचल अधिकारी जरीडीह।	
12.02.2024	अभिलेख उपस्थापित। आम ईस्तहार का तामला प्रतिवेदन प्राप्त। किसी के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गयी है। राजस्व उप निरीक्षक -सह- अंचल निरीक्षक के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदन पत्र में वर्णित भूमि का भौतिक नामांतरण के आधार पर भौतिक पंजी II के पृष्ठ सं०- 8/10 पर प्रविष्टि है, ऑनलाईन पंजी II में प्रविष्टि के पूर्व भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बेरमो(तेनुघाट) से दिशा निर्देश अपेक्षित है। तथा ऑनलाईन पंजी II के पृष्ठ सं०- 8/10 जाँच के क्रम में अन्य रैयत का नाम दर्ज पाया गया। R- 27/2015-16 से मिलान के क्रम में विद्या सिंह पति विनोद कुमार सिंह के नाम से स्वीकृत पाया गया। अतः अद्यतन पंजी II में आवेदक के नाम से जमाबंदी सृजन अद्यतन भाग एवं पृष्ठ पर करने हेतु अनुशंसा सहित अभिलेख अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेरमो(तेनुघाट) को भेजे।  अंचल अधिकारी जरीडीह।  अंचल अधिकारी जरीडीह।	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
17.03.2024	अभिलेख उपस्थापित। न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेरमो(तेनुघाट) के पत्रांक- 209 दिनांक- 14.03.2024 के द्वारा ऑनलाईन जमाबंदी सृजन से संबंधित वाद सं0 09/2023-24 में अभिलेख वापस करते हुए राजस्व निबंधन भूमि सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के आदेश ज्ञापांक- 1857 दिनांक- 29.07.2020 के आलोक में पंजी II का डिजिटাইजेशन करने का निदेश प्राप्त है। उक्त आदेश के अनुपालन हेतु मौजा- बहादुरपुर, थाना नं0- 78, खाता नं0- 38, प्लॉट नं0- 268, रकवा- 20 डी0 एवं खाता नं0- 88, प्लॉट नं0- 269, रकवा- 10 डी0 भूमि का ऑनलाईन पंजी II के अद्यतन पृष्ठ में आवेदिका विद्या सिंह पति विनोद कुमार सिंह साकिन बहादुरपुर, थाना- जरीडीह, जिला- बोकारो के नाम से जमाबंदी सृजन करने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है। लेखापित एवं शुद्धित  अंचल अधिकारी जरीडीह।  अंचल अधिकारी जरीडीह।	